रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072026-274972
CG-DL-E-30072026-274972

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3996] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 28, 2026/श्रावण 6, 1948
No. 3996] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 28, 2026/SHRAVAN 6, 1948

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 27 जुलाई, 2026

का.आ. 4166(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव करती है और तदनुसार उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अंतर्गत यथापेक्षित, इस अधिसूचना से प्रभावित होने की संभावना वाले जनसाधारण की जानकारी के लिए इसे एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; तथा यह सूचना दी जाती है कि राजपत्र, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, की प्रतियाँ जनसाधारण को उपलब्ध कराए जाने की तिथि से साठ दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात विचार में लिया जाएगा;

यदि कोई व्यक्ति उक्त प्रारूप अधिसूचना में निहित प्रस्ताव के संबंध में आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहते हो, तो वे निर्धारित अवधि के भीतर अपनी आपत्तियाँ या सुझाव लिखित रूप में केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली–110003 को प्रेषित कर सकते है अथवा उन्हें ई-मेल पते : diriapolicy-moefcc@gov.in पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

का.आ. (अ).- जबकि, केन्द्रीय सरकार ने तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय में, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (2) की उपधारा (1) और खंड (v) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या

का.आ. 1533 (अ), दिनांक 14 सितंबर, 2006 द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 (जिसे इसके बाद उक्त अधिसूचना कहा गया है) प्रकाशित की थी, जिसके माध्यम से अधिसूचना की अनुसूची में सम्मिलित कतिपय श्रेणी की परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) अनिवार्य की गई थी;

और जबकि, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (3) के तहत ईआईए अधिसूचना, 2006 के कार्यान्वयन के लिए राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरणों (एसईआईएए) का गठन राज्य स्तर पर किया गया है, जो श्रेणी ख के तहत सभी प्रस्तावों के लिए पर्यावरण मंजूरी (ईसी) पर विचार करने और प्रदान करने के लिए प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करता है;

और जबकि, सभी छोटे खनिज खनन परियोजनाओं को, खदान पट्टे क्षेत्र की परवाह किए बिना, ईसी प्रदान करने का अधिकार एसईआईएए स्तर को सौंपा गया है। इसके अलावा, अवैध खनन की रोकथाम सहित खनन कार्यकलापों का विनियमन, मुख्य रूप से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

और जबकि, पिछले दो दशकों में एसईआईएए ने ईसी मूल्यांकन प्रक्रिया में पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लिया है और राज्य स्तर पर भी ईसी प्रस्तावों प्रक्रिया के कुशल और पारदर्शी निपटान के लिए **परिवेश** पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ईसी प्रदान करने में एसईआईएए की सहायता के लिए अतिरिक्त राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों (एसईएसी) का गठन भी करती है;

और, ईएसी और एसईएसी में नामांकित विशेषज्ञों के लिए योग्यता और अनुभव आदि जैसे पात्रता मानदंड समान हैं और ये ईआईए अधिसूचना, 2006 के परिशिष्ट VI द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस संबंध में, यह एक तथ्य है कि ईएसीएस की तुलना में एसईएसी में समान स्तर की विशेषज्ञता उपलब्ध है।

और, राज्यों को पहले ही 500 हेक्टेयर तक के कोयला खनन परियोजनाओं के मूल्यांकन की शक्तियां सौंपी जा चुकी हैं। कोयला खनन परियोजनाओं की तुलना में गैर-कोयला खनन परियोजनाओं का पर्यावरण पर प्रभाव कम होता है। इसके अलावा, खान मंत्रालय से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसमें कोयला खनन परियोजनाओं के मौजूदा प्रावधानों के अनुरूप 500 हेक्टेयर तक के पट्टे वाले गैर-कोयला खनन परियोजनाओं को एसईआईएए / एसईएसी स्तर पर सौंपने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में, केंद्र सरकार राज्य स्तर पर मंजूरी को सुगम बनाने के लिए कोयला खनन परियोजनाओं की तरह ही गैर-कोयला खनन परियोजनाओं के लिए भी ईसी प्रक्रिया को और अधिक विकेंद्रीकृत करना आवश्यक समझती है, जिसके तहत अधिकार सौंपने की सीमा को 250 हेक्टेयर से बढ़ाकर 500 हेक्टेयर किया जाए।

अतः, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (29 ऑफ 1986) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा भारत सरकार के पूर्ववर्ती पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.आ.1533(अ) दिनांक 14 सितंबर, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, -

मद 1 (क) के स्थान पर,

क. कॉलम (3) में, -

> 250 हेक्टेयर" के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् ">500 हेक्टेयर";

ख. कॉलम (4) में, -

"≤ 250 हेक्टेयर" के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् "≤ 500 हेक्टेयर"

[फा. सं. आईए3-19/39/2025-आईए.III]

रजत अग्रवाल,संयुक्त सचिव

नोट: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में क्रमांक सा.का. 1533(ई), दिनांक 14 सितंबर, 2006 द्वारा और अंतिम संशोधित अधिसूचना क्रमांक सा.का. 3862(अ), दिनांक 13 जुलाई, 2026 के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2026

S.O. 4166(E).— WHEREAS, the Central Government proposes to issue following draft notification in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and accordingly, the same is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposal contained in the draft notification may forward the same in writing for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it at the e-mail address: diriapolicy-moefcc@gov.in.

Draft Notification

S.O. _____(E).— WHEREAS, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of its powers under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), vide number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 for mandating prior Environmental Clearance (EC) for certain category of projects covered in the schedule of the notification;

And whereas, the State Environment Impact Assessment Authorities (SEIAAs) have been constituted under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 for implementation of the EIA Notification, 2006 at State level for exercising delegated powers to consider and grant Environmental Clearance (EC) for all proposals under Category B;

And whereas, the authority to grant EC to all minor mineral mining projects irrespective of mine lease area have been delegated to the SEIAA level. Further, regulation of mining activities, including prevention of illegal mining, falls primarily within the jurisdiction of the respective State Governments under the provisions of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (MMDR Act) and the rules framed thereunder.

And whereas, the SEIAAs have gained substantial experience over the past two decades in the EC appraisal process and the process at the State level has also been made completely online through the PARIVESH portal for efficient and transparent disposal of EC proposals. Further, the Central Government also constitutes additional State level Expert Appraisal Committees (SEACs) to assist the SEIAAs for granting ECs;

And whereas, the eligibility criteria such as qualifications and experience etc., for experts nominated in the EACs and SEACs are identical and are governed by the Appendix VI of the EIA Notification, 2006. In this regard, it is a fact that equal level of expertise is available in the SEACs as compared to the EACs.

And whereas, the States have already been delegated powers for appraising 500 ha., of coal mining projects. The impact on environment of non-coal mining projects is less as compared to coal mining. Further, the Ministry is in receipt of a request from Ministry of Mines for delegating non-coal mining projects having lease areas up to 500 ha., to the SEIAA/SEAC level, in line with the existing provisions for coal mining projects. In this regard, the Central Government deems it necessary to further decentralise the EC process

with regard to non-coal mining projects, by raising the threshold of delegation from 250 ha. to 500 ha., as done in coal mining projects, for facilitating clearances at State level.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O.1533(E) dated the 14th September, 2006, namely:-

In the said notification, in the Schedule, –

Against item 1(a),–

a. in column (3),–

for *">250 ha*", the following shall be substituted, namely *">500 ha*";

b. in column (4),–

for "≤ *250 ha*", the following shall be substituted, namely "≤ *500 ha*"

[F. No. IA3-19/39/2025-IA.III]

RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and last amended vide the notification number S.O. 3862(E), dated the 13th July, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.07.30 19:56:07 +05'30'